

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.741 of 2025

=====

Bipin Ram @ Vipin Ram S/o- Late Dhurkheli Ram Resident of Village-
Gokhulpur Dasturpar, Chandi, P.O. and P.S.- Chandi, Dist- Nalanda.

... .. Petitioner/s

Versus

1. The State of Bihar through the Collector-cum- District Magistrate, Nalanda at Biharsharif.
2. The Collector-cum- District Magistrate, Nalanda at Biharsharif.
3. The Addl. Collector, Nalanda at Biharsharif.
4. The Sub Divisional Officer-cum- Sub Divisional Magistrate, Hilsa, District- Nalanda.
5. The Circle Officer, Chandi Block, Chandi, District- Nalanda.

... .. Respondent/s

=====

Appearance :

For the Petitioner/s	:	Mr. Sanjeev Kumar, Advocate Mr. Shyamal Prakash, Advocate Ms. Bharti Rai, Advocate Mr. Sitesh Kashyap, Advocate Md. Dilshad Alam, Advocate
For the State	:	Mr. Birju Prasad (GP-13) Mr. Ravi Kumar, (AC to GP-13) Mr. Akshay Lal Prasad, (AC to GP-13))

=====

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE DR. ANSHUMAN
ORAL ORDER

2 28-01-2025 Heard Learned Counsel for the petitioner and Learned

Counsel for the State.

2. The present writ petition has been filed in the nature of mandamus commanding the respondents to ensure the compliance of the order dated 16.03.2021 passed by The Sub Divisional Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Hilsa, District- Nalanda (respondent no.4) in Case No.126 MP/2019 whereby and whereunder, a direction has been given to the Circle Officer, Chandi Block, Chandi, District- Nalanda



(respondent no.5) to take steps for settlement of a piece of land appertaining to Thana No.296, Khata No.86, Plot No.2, measuring 5 decimals falling under Mauza- Gokhulpur of Chandi block of Nalanda District in favour of the petitioner.

3. Learned Counsel for the petitioner submits that the law which is applicable for him is policy No.109/71-2034 dated 15.03.1971 according to which, it is well within the power of the Sub-Divisional Officer, to settle the land in favour of the petitioner (being SC category) for the land 5 decimals which is less than 12.5 decimals. Counsel further submits that special power of settlement has been vested in the S.D.O. Counsel submits that S.D.O., Hilsa, Nalanda has passed order in his favour on 16.03.2021, but till date, land has not been settled in his name in-spite of the fact that petitioner has filed representation before the Circle Officer, Chandi, Nalanda which is annexed as Annexure-P/2.

4. Learned Counsel for the State submits that the said policy No.109/71-2034 dated 15.03.1971 is still in existence and under the said policy, power of settlement of land to privilege person has been vested in the S.D.O itself for area 12.5 decimals.

5. Upon perusal of the record, particularly, the order



passed by the S.D.O., Hilsa, Nalanda dated 16.03.2021 in case No.126 MP/2019, he has recommended for settlement of the land to the Circle Officer, Chandi, Nalanda, but the legislative intent is otherwise. It transpires to this Court that the said policy dated 15.03.1971 is necessary to quote in this case which is as follows:-

‘विषय: विशेषाधिकार प्राप्त (Privileged Persons) व्यक्तियों के साथ गैरमजरूआ मालिक एवं खास जमीन की बन्दोबस्ती करने के निमित्त अनुमंडल पदाधिकारियों को शक्ति प्रदान करना।

[संख्या-4/खा.म.नीति-109/71-2034 रा. दिनांक 15.03.1971, बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। प्रेषक श्री फूलचंद सिंह, सरकार के उप सचिव। सेवा में, सभी प्रमंडलीय आयुक्त।]

राजस्व विभागीय पत्रांक-5 एल. आर. एल. ए. 211/70-6561 एल. आर., दिनांक 24.10.1970 के क्रम में निदेशानुसार मुझे कहना है कि जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप देहाती क्षेत्रों में कृषि योग्य बंजर एवं अन्य भूमि एवं जो सरकार में निहित हो गयी है उसकी बन्दोबस्ती में निम्नांकित वर्ग के लोगों को थामिकता दी जाती है-

(क) अनुसूचित जाति

(ख) अनुसूचित जनजाति

(ग) पिछड़ा वर्ग (सूची-1)



(घ) कार्यरत सैनिक तथा वैसे सैनिक के परिवार जो युद्ध में बीरगति प्राप्त किए हों तथा

(ड) पूर्वी पाकिस्तान एवं बर्मा से आए हुए शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1984 को या उसके बाद भारत में आए हों।

उपर्युक्त (घ) को छोड़कर शेष वर्गों के लोगों के साथ जमीन की बन्दोबस्ती करने की शक्ति प्रत्येक अनुमंडल पदाधिकारी को प्रदत्त है (घ) पर वर्णित लोगों के साथ जमीन बंदोबस्ती करने में जिला समाहर्ता सक्षम है।

2. बिहार प्रिविलेज्ड परसन्स होमस्टीड टेनेन्सी ऐक्ट के अन्तर्गत विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों को वास का पर्चा देने के दौरान यह पाया गया है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन लोगों ने गैरमजरूआ खास, मालिक का गैरमजरूआ आम जमीन पर भी मकान बना लिया है, उन्हें बिहार प्रिविलेज्ड परसन्स होम स्टीड टेनेन्सी ऐक्ट के अन्तर्गत वास का पर्चा देना संभव नहीं है क्योंकि उक्त अधिनियम सरकार में निहित जमीन पर लागू ही नहीं होता है। इसके निमित्त एक ही उपाय है कि उस जमीन की बन्दोबस्ती वैसे लोगों के साथ कर दी जाय।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति/पिछड़ा वर्ग-1 आदि के अन्तर्गत आने वाले विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के साथ बन्दोबस्ती सम्प्रति प्रदत्त शक्तियों के



अन्तर्गत स्थानीय पदाधिकारी (अनुमंडल अधिकारी, समाहर्ता) कर सकते हैं परन्तु अन्य श्रेणी के विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति के साथ सरकार द्वारा ही बन्दोबस्ती की जा सकती है। परन्तु इस प्रक्रिया में काफी श्रम, समय लगेगा। अतः सरकार ने पूर्ण विचार-विमर्श के बाद विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के साथ जमीन बन्दोबस्ती के लिए निम्न प्रकारेण शक्तियां प्रदत्त करने का निर्णय लिया है:-

(क) जिस गैर मजरूआ खास एवं मालिक जमीन पर विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति का मकान बना हुआ है उसकी बन्दोबस्ती उस व्यक्ति के साथ कर दी जाय। ऐसी बन्दोबस्ती करने की शक्ति सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को प्रदत्त की जाती है।

(ख) बन्दोबस्ती के दौरान घर एवं सहन की जमीन अगर 12.5 डि. से फाजिल हो तो उसकी बन्दोबस्ती में सरकार के आदेश की आवश्यकता होगी।

(ग) ऐसी बन्दोबस्ती में विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों से 12.5 डि. जमीन के लिए कोई सलामी नहीं ली जायेगी।

(घ) विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति का मकान अगर गैरमजरूआ आम जमीन पर होगा तो उसकी बन्दोबस्ती उसी हालत में की जायेगी जबकि जमीन की प्रकृति बदल गयी हो, और यह जनता के उपयोग में नहीं हो। किन्तु आम जमीन की बन्दोबस्ती करने के पहले



आम इस्तेहार द्वारा जनता को सूचित करना होगा ताकि कोई भी इस प्रस्ताव के विरुद्ध आपत्ति दे सकेंगे। अगर जमीन आपत्तिरहित होगी तब ही उसकी बन्दोबस्ती की जायेगी। इस तरह विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के साथ गैरमजरूआ आम जमीन की बन्दोबस्ती (मकान के लिए) करने का अधिकार प्रमंडलीय आयुक्तों को ही होगा। पत्र प्रेषित होने की तिथि से ही यह आदेश लागू समझा जायेगा।”

6. From the said policy, it is crystal clear to the Court that order of settlement has to be made by the S.D.O. himself. In law, settlement and recommendation of the settlement are two different aspects of the matter. It transpires to this Court that the S.D.O. has made recommendation for the settlement, but has not settled himself, whereas, in the policy, permission for settlement has been vested in the S.D.O. himself.

7. Therefore, this Court is remanded the matter before the S.D.O., Hilsa, Nalanda who shall pass further order completely in the light of the policy of 15.03.1971 in which power has been vested in him to settle. It is directed that the S.D.O., Hilsa, Nalanda shall pass order for settlement in favour of the petitioner and then he shall refer the matter to the Circle Officer, Chandi, Nalanda to enter the name of the petitioner in



the Records of Right.

8. All exercise shall be done within 3 months from the date of production of this order before the S.D.O., Hilsa, Nalanda.

9. Accordingly, with the aforesaid direction, this writ petition stands disposed off.

(Dr. Anshuman, J)

Divyansh/-

U			
---	--	--	--

